मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/1569 **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

विषय - सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश।

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्न निर्देशित किया जाता है कि -

1. आपके अधीनस्थ मंडी समितियों (विशेषकर उपमंडी प्रांगणों) में संभावित आवक को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी संसाधनों – जैसे कंप्यूटर, पावर बैकअप उपकरण, इंटरनेट/ वाई-फाई उपकरण, POS मशीन आदि – की आवश्यकता का आंकलन कर संसाधनों की व्यवस्था दिनांक 13.10.2025 तक अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त का पालन कर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2. उपमंडी प्रांगणों में आवश्यकता होने पर मुख्य मंडी से वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए।

3. यदि नए उपकरणों का क्रय किया जाना आवश्यक हो, तो नियमानुसार क्रय कर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्यवाही पूर्ण कराई जाए। भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक क्रय नहीं किया जाए। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संयुक्त संचालक का होगा।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1570 **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - _____ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला - _____ (समस्त)।
7. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल